पंजीकृत संख्या 72/54–55 || वन्दे मातरम् || Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

# राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, उमराव लाल वर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I.) & राज. राज्य कर्मचारी महासंघ

| प्रहलाद शर्मा | रामावतार शर्मा | देव लाल गोचर |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | सभाध्यक्ष | महामंत्री |
| मो. 9414056109 | मो. 9166616080 | मो. 9414403756 |


## प्रेस विज्ञप्ति

### राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के शिष्ट मण्डल की शिक्षा मंत्री से वार्ता
### प्रारम्भिक शिक्षा की काउन्सलिंग परिवेदना निस्तारण के बाद ही होगी

जयपुर, 6 जून 2016। संगठन के शिष्टमण्डल ने प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के नेतृत्व में आज शिक्षामंत्री श्री वासुदेव देवनानी एवं शासन सचिव श्री नरेश पाल गंगवार से शासन सचिवालय में वार्ता कर संगठन के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के मांगपत्र सहित प्रारम्भिक शिक्षा के संभावित स्टाफिंग पैटर्न मे विषय व पद निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को लेकर वार्ता की।

वार्ता की जानकारी देते हुए महामंत्री देवलाल गोचर ने बताया कि संगठन के मांगपत्र पर शिक्षामंत्री द्वारा पृथक से अधिकारिक स्तर पर वार्ता कराने पर सहमति हुई। प्रारम्भिक शिक्षा के होने वाले स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में संगठन के आग्रह के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समानीकरण से पूर्व मानदण्डानुसार प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्यात्मक/विषयवार सूची प्रकाशित की जावेगी तथा शिक्षकों के लेवल,विषय तथा कार्यरत विद्यालय/ब्लॉक/जिले में ठहराव सम्बन्धी संस्थापन सूचना विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी तथा इसमें आपत्ति दर्ज कराने के लिये उचित समय दिया जायेगा एवं पदस्थापन/समायोजन से पूर्व आपत्तियों का निस्तारण कर उक्त दोनों सूचियों को अद्यतन किया जावेगा। संगठन द्वारा सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम अवधि शेष वाले अध्यापकों को समानीकरण से मुक्त रखे जाने, तथा पदस्थापन के लिए दिव्यांग व आश्रित दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, गंभीर रोग मे कैन्सर तथा ब्रेन ट्यूमर के अतिरिक्त किडनी प्रत्यारोपण, हृदयरोग से ग्रसित अध्यापक एवं दिव्यांग तथा गंभीर रोग से ग्रसित पति/पत्नी व पुत्र/पुत्री वाले अध्यापकों को वरीयता दिये जाने के आग्रह पर वार्ता में लिये गये सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

वार्ता में लिये गये निर्णयानुसार शासन सचिव श्री नरेश पाल गंगवार ने वरिष्ठ अध्यापक/प्रधानाध्यापक के विषय में अशुद्धि संशोधन हेतु 8 जून 2016 को प्रातः 10 बजे तक तथा अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 के नाम, नियुक्ति तिथि अथवा विषय आदि में वांछित संशोधन हेतु सम्बन्धित बी.ई.ई.ओ. को आपत्ति देकर 12 जून 2016 तक संशोधन करने के निर्देश जारी कर दिये है। जारी निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक/प्रधानाध्यापक को उसके पदस्थापित विद्यालय मे ही रखा जायेगा। अधिशेष अध्यापक को उसके पदस्थापित ब्लॉक में ही तथा प्रबोधक आदि को उसकी ग्राम पंचायत में ही पदस्थापित किया जायेगा। अधिशेष शिक्षको को काउन्सलिंग के द्वारा विद्यालय चयन की सुविधा दी जायेगी।

वार्ता में संगठन ने शिक्षामंत्री से यह मांग भी की गई कि वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी/संस्कृत, वरिष्ठ अध्यापक गणित /विज्ञान (प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय) पदस्थापित होने पर शिक्षक को दोनों विषय पढ़ाने होगें और कालांश–भार 36 होगा। ऐसी स्थिति में वह संस्था प्रधान का कार्य किस प्रकार सम्पादित करेगा यह विचारणीय है। अतः ऐसी स्थिति में उस विद्यालय में उक्त विषयों में से किसी एक विषय का अतिरिक्त अध्यापक लगाना जरूरी है। सामान्य विषय (वाणिज्य, कृषि, कला) के शिक्षकों के साथ हुई विसंगति दूर करने की भी माँग की गई। साथ ही प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक का पद रखा जाये। शिक्षामंत्री ने शिष्टमण्डल को आश्वस्त किया कि समानीकरण से पूर्व संगठन द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

शिष्टमण्डल में अध्यक्ष व महामंत्री के साथ प्रदेश संगठन मंत्री महावीर प्रसाद सिंहल, माध्यमिक क्षेत्र उपाध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा, प्राथमिक क्षेत्र उपाध्यक्ष देवकीनन्दन सुमन, जयपुर संभाग उपाध्यक्ष बसन्त जिंदल, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा एवं संगठन के संरक्षक राजनारायण शर्मा सम्मिलित थे।

**सादर प्रकाशनार्थ**

(देव लाल गोचर)
महामंत्री